

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/
प्रार्थीगण

बनाम

५९५

अप्रार्थीगण

दिनांक - 25.2.20

1 अलाना 2 इब्राहिम 3 करीम
पिसरान साले मोहम्मद जाति
मुसलमान निवासी मलवा
तहसील व जिला बाड़मेर।


1 नबू खां पुत्र गवर खां 2 अब्दुला खां 3 हकीम खां
पिसरान रमदान 4 मोहम्मद अली पुत्र सावण खां 5
रमदान खां पुत्र रिड़मल खां 6 अदरूप खां 7 सरीफ
खां पिसरान मगा खां 8 जुमा खां पुत्र अदल खां
जाति मुसलमान निवासी मलवा 9 लूणीदेवी पत्नी
रतनलाल जाति सुथार निवासी मलवा तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 288/2019

दिनांक- 19.02.20

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मलवा पटवार क्षेत्र दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 10 रकबा 16.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच
सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/ ५९६-५९९
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 25.2.20

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी दूदाबेरी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. अलाना पुत्र साले मोहम्मद वगैराह जाति मुसलमान निवासी मलवा तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी नबू खां पुत्र गवर खां वगैराह जाति मुसलमान निवासी मलवा तहसील व जिला
बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

